न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, डेगाना, जिला नागौर

बईजलास – श्री अशोक कुमार चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 509/2017

प्रार्थीगण – 1. कानाराम पुत्र आईदानराम
2. रामलाल पुत्र आईदानराम, जातियान जाट, निवासीगण बुटाटी, तहसील डेगाना, जिला नागौर, राज.।

बनाम

अप्रार्थीगण –
1. सीताराम पुत्र रामदेव
2. रामपाल पुत्र रामदेव, जातियान जाट, निवासीगण बुटाटी, तह0 डेगाना।
3. तहसीलदार, डेगाना।
4. शाखा प्रबंधक मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा बुटाटी।
5. शाखा प्रबंधक पी एम जी बी, शाखा बुटाटी।

प्रार्थना पत्र बाबत् 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री सहदेव प्रसाद स्वामी
अधिवक्ता अप्रार्थीगण – श्री त्रिलोक चंद शर्मा

दिनांक : 13/3/2020

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण की ओर से यह राजस्व प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम निम्बड़ी चांदावता के खेत खसरा नंबर 1010 रकबा 06.87 है0 खेत प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा आया हुआ है। उक्त खेत की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज है, नकल जमाबन्दी संवत 2066–2085 की पेश है। इसी तरह अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1015 रकबा 0.010 है0 व खसरा नंबर 1016 रकबा 07.27 है0 प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 1010 के सींव जोड़ पश्चिमी तरफ आई हुई है। नकल जमाबन्दी संवत 2066 से 2085 की साथ में पेश है। पूर्व में उक्त खेत खसरा नंबर 1010 का रकबा बीघा में दर्ज था व उक्त खेत का क्षेत्रफल 42.10 बीघा था जो वर्तमान में 06.87 है0 है। प्रार्थीगण का उक्त खेत कब्जा, काश्त सुदा एवं हक अधिकार सुदा आया हुआ था व है। लेकिन अप्रार्थीगण ने इस वर्ष उन्दालू फसल की बिजाई के दौरान प्रार्थीगण के खेत की पश्चिमी माठ को तोड दी एवं उक्त कब्जा जमीन रकबा 05.11 बीघा भूमि पर नाजायज प्राप्त करने के आशय से उक्त खेत के उक्त रकबा में घुसकर आपराधिक अतिचार कर कब्जा जमीन नाजायज प्राप्त कर प्रार्थीगण को बेकब्जा कर अवैध कब्जा प्राप्त कर लिया। प्रार्थीगण को उक्त खेत खसरा

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नंबर 1010 की पश्चिमी उत्तरी कोने में 05.11 बीघा जमीन पर कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया एवं उक्त जमीन उन्दालू की फसल काश्त कर नाजायज कब्जा जमीन पर बनाये हुए है जिससे उक्त कब्जा जमीन जरिये बेदखली की डिगरी प्राप्त करने हेतु तक यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध पेश किया जाना लाजमी हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को उक्त वर्णित प्रार्थीगण की कब्जासुदा व काश्तसुदा, खातेदारी व हकसुदा भूमि ग्राम निम्बड़ी चांदावता के खेत खसरा नंबर 1010 के उत्तरी पश्चिमी कोने की 05.11 बीघा 0.898 है0 भूमि पर नाजायज तथा वर्तमान में उक्त जमीन पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 नाजायज कब्जा किये हुए है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का कभी व किसी भी हैसियत से उक्त जमीन पर पूर्व में कब्जा हक एवं अधिकार नहीं रहा है। उक्त विवादित भूमि को आगे इस प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि में नाम से पुकारा जायेगा। प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा विवादित भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। उक्त विवादित भूमि का कब्जा जमीन प्राप्त करने के पश्चात अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल कर पुनः कब्जा जमीन प्राप्त कर लेते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण अपनी खातेदारीसुदा कृषि भूमि के कब्जा से महरूम हो जायेगें व काश्त नहीं कर पाने से आजीविका का साधन छीन जायेगा व प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर कालिमा छा जायेगी जिसकी भरपाई रूपयों पैसों में नहीं की जा सकेगी। प्रार्थीगण की उक्त विवादित भूमि को नष्ट भ्रष्ट करने व वृक्ष इत्यादि काटकर ले जाने व खड्डे इत्यादि खोदकर जमीन की उपजाऊ क्षमता नष्ट करने की धमकी भी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण को दे रहे है जिससे प्रार्थीगण इस वाद के जरिये स्थायी निषेधाज्ञा की डिगरी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त करने के अधिकारी है कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के तमाम प्रकार के उपयोग व उपभोग में नां तो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 स्वयं किसी भी तरह की दखलंदाजी करें और नां ही अन्य से करवावें। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम निम्बड़ी चांदावता के खेत खसरा नंबर 1010 रकबा 06.87 है0 में से रकबा 05.11 बीघा 0.8984 है0 भूमि विवादित के मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति अप्रार्थीगण वाद के अन्तिम निस्तारण तक बनाये रखने का आदेश प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थी के विरूद्ध जारी फरमाया जावें। अप्रार्थीगण को इस आशय के अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता त्रिलोक चंदा शर्मा ने वकालतनामा पेश किया व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसका विवरण इस प्रकार है :– राजस्व ग्राम निम्बड़ी चांदावता की राजस्व सीमा में पुराने खसरा नंबर 476 रकबा 42.08 बीघा जिसके नये खसरा नंबर 1010 रकबा 06.87 है0 है। उक्त जमीन अप्रार्थीगण के नजदीकी कुटुम्बी दादा सुखाराम पुत्र चेतन की खातेदारी का काश्त, कब्जासुदा रहा वक्त सेटलमेन्ट व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु हुआ उस निर्धारित दिवस पर इस जमीन पर सुखाराम का काश्त, कब्जा था व काश्त कब्जा के आधार पर इस जमीन की खातेदारी सुखा पुत्र चेतन के नाम से दर्ज हुई थी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सीताराम व रामपाल के पूर्वज सुखा पुत्र चेतन का खसरा नंबर 1010 की 42.08 बीघा सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त कदीम से चला आ रहा है। वर्तमान में उक्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 व इनके परिवार के सदस्यों के काश्त व कब्जा में है व वादी का कभी भी उक्त भूमि पर काश्त व कब्जा नहीं था। इसलिये प्रार्थीगण का उक्त आरोप की उक्त खेत की पश्चिमी माठ को 05.11 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा अप्रार्थीगण ने कब्जा किया उक्त बात निराधार है। प्रार्थीगण आउट ऑफ पजेशन किसी भी प्रकार से न्यायालय से

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी न होने से प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। उक्त वर्णित भूमि पुराने खसरा नंबर 476 व नये खसरा नंबर 1010 की सम्पूर्ण भूमि 42.08 बीघा पर अप्रार्थीगण का कदीम से कब्जा व काश्त है। जिससे उक्त भूमि के उत्तरी–पश्चिमी कोने की 05.11 बीघा भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उक्त खसरान रकबान की सम्पूर्ण भूमि पर कदीम से ही अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का काश्त व कब्जा है, अनाधिकृत खातेदारी की आड़ में प्रार्थीगण उक्त भूमि को हड़पना चाहते है, इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज के है। उक्त जमीन पर पहले बतौर खातेदार सुखा वल्द चेतन का कब्जा रहा है व इसके पश्चात अप्रार्थीगण के पूर्वज का रहा व अब अप्रार्थीगण का काश्त व कब्जा चला आ रहा है सुखाराम इनके नजदीकी कुटुम्बी था जो इनके दादा का सगा भाई था। जिससे सुखाराम के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी अप्रार्थीगण ही है। इस जमीन पर प्रार्थीगण व इनके पूर्वजों को काश्त व कब्जा कभी नहीं रहा व नां ही आज दिन है। वादीगण पूर्णतया आउट ऑफ पजेशन है जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। उक्त जमीन प्रतिवादीगण जवाब देहिन्दा व उसके परिवार के सदस्यों की कदीमी कब्जासुदा पुश्तैनी जमीन है जिस जमीन पर इनका काश्त व कब्जा चला आ रहा है व जमीन का भोग व उपभोग करते आ रहे है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी जवाब देहिन्दा के हक में है तथा इस खसरा की 05.11 बीघा की जमीन पर कभी प्रार्थीगण व इनके पूर्वजों का कभी भी काश्त व कब्जा नहीं रहा व नां ही आज दिन है, जिससे प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होने वाली है व अपार क्षति जवाब देहिन्दा अप्रार्थीगण को ही होने वाली है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा व हर्जा के खारिज फरमाया जावें।

बहस वकुलाय सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि मूल वाद के फैसले तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे ताकि वादग्रस्त खसरा नम्बर को अप्रार्थीगण काश्त व कब्जे में दखलंदाजी नहीं कर सकें। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है, अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि के रेकर्डड खातेदार है। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के फैसल होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम निम्बड़ी चांदावता के खसरा नंबर 1010 पर अप्रार्थीगण मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं प्रार्थीगण के काश्त व कब्जे में दखलंदाजी नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(अशोक कुमार चौधरी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar Choudhary
Date: 2020.03.18 15:28:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: